यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स

(कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश) पंजीयन क्रमांक 01/01/01/38922/22

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी संघ (फेडरेशन) 2. म.प्र. संविदा अधिकारी/कर्मचारी संघ। 3. राज्य विद्युत मंडल तक कर्मचारी संघ।
4. विद्युत कर्मचारी पंचायत। 5. बिजली कर्मचारी कांग्रेस। 6. मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट
अधिकारी/कर्मचारी समन्वय समिति। 7. म.प्र. बिजली कर्मचारी यूनियन। 8. म.प्र. विद्युत पेंशनर एसोसियेशन।
9. म.प्र. विद्युत कर्मचारी कल्याण संघ। 10. म.प्र. सुरक्षा कर्मचारी एसोसियेशन। 11. म.प्र. विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ।

ई-मेल : unitedforam092022@gmail.com | मो.: 9425806944

पत्र क्र.म.प्र.यू.फो.पा.ई.ई./2023/131 दिनांक : 07/07/2023

प्रति

1. माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
   म.प्र.शासन,
   भोपाल (म.प्र.)।

2. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय,
   म.प्र.शासन,
   भोपाल (म.प्र.)।

विषय:-म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों हेतु स्थायी नीति (संविलियन) बनाकर अनुभव के आधार पर वेतन में वृद्धि करने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्र.म.प्र.यू.फो.पा.ई.ई/2023/099 दिनांक-03/03/2023.

माननीय महोदय,

यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर मध्य प्रदेश की सभी उत्तरवर्ती कंपनियों के प्रमुख संगठनों का एक पंजीकृत संयुक्त संगठन है, जो कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की समस्याओं एवं जायज मांगों के संबंध में समय-समय पर प्रशासन एवं प्रबंधन को अवगत कराकर उनके सार्थक समाधान एवं निराकरण हेतु सदैव प्रयासरत रहता है।

माननीय महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि म.प्र. की विद्युत कंपनियों में लगभग 40,000 आऊटसोर्स कर्मचारी विभिन्न वर्गों में कार्यरत है। यहां पर यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि ट्रांसमिशन एवं वितरण के क्षेत्र में पूरी व्यवस्था इन्ही आऊटसोर्स कर्मचारियों की वजह से म.प्र. में सुचारू रूप से संचालित है। फोरम द्वारा लगभग 3 वर्षों से आऊटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में पारिश्रमिक बढ़ाने एवं अन्य राज्यों की तरह उनके संविलियन की मांग करता रहा है। वर्तमान में भी आऊटसोर्स कर्मचारी अपने स्तर से धरना प्रदर्शन करते रहे है एवं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा भी उनकी मांग पर विचार करने का लगातार 1 वर्ष से आश्वासन दे रहे है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कि सभी आऊटसोर्स कर्मचारी आक्रोषित है एवं उनके द्वारा दिनांक 06.01.2023 से अनिश्चित कालीन कार्यवहिष्कार की घोषणा की थी, जिसके तारतम्य में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिनांक 05.01.2023 को फोरम एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर उक्त आन्दोलन को स्थगित करने के अनुरोध के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 15 दिवस के अन्दर वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 15 दिन व्यतीत होने के बाद भी वार्ता न कराने के कारण दिनांक 21.01.2023 से उनके द्वारा पुन: आन्दोलन शुरू किया गया था, जिसे माननीय ऊर्जा मंत्री एवं कई सासंद एवं विधायको के आश्वासन के उपरांत समाप्त कर दिया गया था। लेकिन प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा इस दौरान लगभग 1000 आऊटसोर्स कर्मियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी है जिससे उनके परिवार के ऊपर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जो कि अत्यंत दु:खद एवं शासन/प्रशासन की हठधर्मिता प्रदर्शित करती है। **अत: फोरम माननीय से अनुरोध करता है कि निकाले गये सभी आऊटसोर्स कर्मियों को तुरंत वापिस लेने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।**

माननीय को यह भी ध्यान में लाना आवश्यक है कि विद्युत वितरण कंपनियों में आऊटसोर्स कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण दिये विद्युत सुधार हेतु नियम विरूद्ध पोल पर कार्य करने हेतु मजबूर किया जाता है क्योंकि वितरण कंपनियों में विद्युत व्यवस्था सुधार के लिये नियमित कर्मचारियों की भारी कमी है, इसलिये इन कर्मचारियों से मैदानी अधिकारियों द्वारा मजबूरी में कार्य कराया जाता है। विद्युत लाईनों में कार्य के दौरान पिछले 2 वर्षों में लगभग 200 दुर्घटनाओं में आऊटसोर्स

कर्मचारियों की असमय मृत्यु हुई है लेकिन शासन द्वारा उन्हे केवल रू. 4 लाख का दुर्घटना का लाभ दिया जाता है जो कि किसी बाह्य व्यक्ति के विद्युत दुर्घटना के लिये भी दिया जाता है। विद्युत वितरण कंपनियों में इस प्रकार की दुधटनायें लगातार होने के बावजूद शासन एवं प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करना प्रबंधन की लाईन कर्मचारियों के प्रति उदासीनता प्रर्दशित करती है । **वर्तमान में माननीय के द्वारा सभी विभागों के कर्मियों को उनके बेहतर भविष्य के लिये मानदेय में वृद्धि की घोषणा के साथ-साथ आदेश भी प्रसारित किये जा रहे है,इसी प्रकार विद्युत कंपनियों के कर्मचारी भी माननीय से यह अपेक्षा रखते है कि उन्हे भी सभी विभागों की तरह मानदेय में वृद्धि करते हुये उनकी भी सेवायें सुरक्षित रखने हेतु आदेश प्रसारित किये जायेगें । अत: फोरम मांग करता है कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के कार्य की परिस्थित जो कि अत्यंत जोखिम पूर्ण है, को देखते हुये न्यूनतम वेतन रू. 15000/- करते हुये, कम से कम रू. 20 लाख का दुर्घटना बीमा किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।**

अत: फोरम माननीय से अनुरोध करता है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तुरंत निकाले गये कर्मियों को वापिस लिया जाये एवं उक्त मांगों को अन्य विभागों के अनुसार वेतन वृद्धि एवं दुघर्टना बीमा की घोषणा समय-सीमा में करने का निवेदन है ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

भवदीय

(इं.व्ही.के.एस. परिहार)
संयोजक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), म.प्र.शासन, भोपाल (म.प्र.) ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉवर मे. कं.लि., भोपाल (म.प्र.) ।

-Sd-
(इं.व्ही.के.एस. परिहार)
संयोजक